



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939

No. 1008]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

वित्त मंत्रालय

(रक्षोपाय महानिदेशालय)

(सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर)

रक्षोपाय जांच की शुरुआत का नोटिस

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

[सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आंकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

**विषय :** मोड्यूल अथवा पेनल्स में जुड़े हुये या बिना जुड़े सोलर सेल्स के भारत में आयातकों से संबन्धित रक्षोपाय जांच की शुरुआत ।

**सा.का.नि. 1522(अ).**—सीमा शुल्क प्राशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आंकलन) के नियम 5 के अंतर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05/12/2017 को मैसर्स इंडियन सोलर मैनुफ्रेक्चरर्स असोसियेशन (आई एस एम ए) द्वारा 5 भारतीय उत्पादकों (i) मैसर्स मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड, अदानी हाउस, मीठा खली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात ; (ii) मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड, 3सी/1, ईको टेक-II, उद्योग विहार, डिस्ट्रिक्ट: गौतम बुध नगर, ग्रेटर, नोएडा- 201306, उत्तर प्रदेश (iii) मैसर्स ज्यूपिटर सोलर पावर लिमिटेड, विल्लेज कथा, पोस्ट ऑफिस बड्डी, तेह. नालागढ़, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205; (iv) मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, फाल्टा एस ई ज़ेड सैक्टर- II, फाल्टा डिस्ट्रिक्ट 24 साउथ प्रगानस, वेस्ट बंगाल- 743504 ; (v) मैसर्स हिलिओस फोटो बोल्टैक लिमिटेड, 43 बी, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस- III, नई दिल्ली- 110020 की ओर से मैसर्स एथेना लॉ असोसियेशन के माध्यम से "मोड्यूल अथवा पेनल में जुड़े अथवा अलग सोलर सेल्स जिसे यहाँ अथवा विचाराधीन उत्पाद के नाम से संबोधित किया गया है के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने के संबंध आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिससे विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं के वर्धित आयात से हुई गंभीर क्षति अथवा उसकी आशंका से बचाया जा सके।

**2) घरेलू उद्योग-** आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि इनकी फ़र्म का कुल उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक है और वह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने का उनका आधार बनता है।

**3) विचाराधीन उत्पाद** - विचाराधीन उत्पाद, मोड्यूल अथवा पैनल्स में जुड़े सोलर सेल्स को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 85 के प्रशुल्क शीर्षक संख्या 8541.40.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सोलर सेल्स को व्यावसायिक भाषा में फोटोवोल्टैक सेल्स भी कहा जाता है। फोटोवोल्टैक तकनीक परमाणु स्तर पर सूर्य के प्रकाश को विद्युत शक्ति में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करने में समर्थ करता है। सोलर सेल्स ठोस विद्युत उपकरण है जो फोटोवोल्टैक क्रिया से सूर्य के प्रकाश को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। सोलर सेल्स की व्यावहारिकता हेतु उसे पैनल अथवा मोड्यूल में रखा गया है। दूसरे शब्दों में सोलर पैनल/ मोड्यूल सोलर सेल्स की फिटिंग है। सोलर सेल्स में विद्युत कनेक्शन को सीरीज में जोड़ा जाता है जिससे वांछित वाट अथवा वांछित विद्युत प्रवाह का उत्पादन किया जा सके।

**3.1** विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु दो प्रमुख तकनीकों का प्रयोग किया जाता है - पहली तकनीक का नाम क्रिस्टलाईन सिलिकॉन (c-Si) तकनीक है जिसे सिलिकॉन वेफ़र तकनीक भी कहा जाता है क्रिस्टलाईन सिलिकॉन में एन - टाईप, पी-टाईप, मोनो क्रिस्टलाईन और मल्टी क्रिस्टलाईन सिलिकॉन पदार्थ शामिल हैं।

दूसरी तकनीक 'थिन फिल्म' तकनीक कहलाती है जिसमें, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, कैडमियम टेल्लुरियम (सीडीटीई) अथवा कॉपर इंडियन गेलियम सिलिनियम का प्रयोग अर्धचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। दोनों c-Si तकनीक और 'थिन फिल्म' तकनीक से बने सोलर सेल्स का आयात भारत में किया जाता है।

**3.2** आवेदकों का यह दावा है की उनके द्वारा सोलर सेल्स का उत्पादन c-Si तकनीक के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवेदकों का यह भी कहना है कि यद्यपि सोलर सेल्स बनाने में दोनों तकनीक - क्रिस्टलाइन और थिन फिल्म भिन्न हैं, परंतु दोनों का उपयोग तुलनात्मक प्रयोग अथवा अंतिम प्रयोग में किया जाता है, साथ ही दोनों की द्रव्य भिन्नता में कोई अंतर नहीं है। अतः आवेदकों का दावा है कि सोलर सेल्स का c-Si तकनीक से घरेलू उत्पादन आयातित सोलर सेल्स जो कि c-Si तकनीक अथवा 'थिन फिल्म' तकनीक को प्रयोग करते हुए बनाया गया है, एक जैसे उत्पाद हैं और यह आयातित उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष स्पर्धा में आते हैं।

**4) जाँच की अवधि** - आवेदकों ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 (सितम्बर 2017 तक) तक के सभी आवश्यक आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। चयनित जाँच की अवधि 2014-15 से 2017-18 (वार्षिक) है जो कि बाज़ार की पारिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की आवश्यकता पर विचार करने हेतु एक काफी लंबी और उचित अवधि है।

**5) सूचना का स्रोत**- इस विचाराधीन उत्पाद के लिए आवेदकों द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 (जून 2017 तक) तक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, वर्ष 2014-15 से 2017-18 (जून तक) तक, वाणिज्य विभाग से और 2017-18 (जुलाई 2017 से सितम्बर 2017) तक इन्फो ड्राइव व मीडिया के विचाराधीन उत्पाद के आयात का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसको कि विश्लेषण के लिए भी लिया गया है। आवेदकों द्वारा 2014-15 से 2017-18 (सितम्बर 2017) तक के घरेलू आँकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं।

**6) संबन्धित आयात (समग्र और संगत रूप में)** - विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में चीन लोक गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर, ताईवान, इत्यादि से किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयात को कुछ समय से समग्र रूप से बढ़ता देखा जा रहा है। आनुपातिक रूप में भी शुरुआती वर्ष 2014-15 की तुलना में आयात में बड़ोतरी दर्ज की गयी है।

सं.	विवरण	इकाई	2014/15	2015/16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
1.	कुल आयात	मे वा	1275	4186	6375	933	9331
2.	उत्पादन	मे वा	246	305	798	838	1164
3.	उत्पादन के कुल प्रतिशत रूप में आयात	मे वा	519	1371	799	1113	802

**7) गंभीर क्षति** - आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है की विचाराधीन उत्पाद के संबन्धित आयतों से इस उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने की स्थिति उत्पन्न हुई है जो कि यह निम्नलिखित मद्दों में इंगित है-

**क) उत्पादन** - निम्नलिखित सारिणी के माध्यम से देखा जा सकता है कि जाँच के अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं माँग में बड़ोतरी दर्ज कि गई, वहीं घरेलू माँग को ध्यान में रखते हुये यदि प्रतिशत आँका जाए तो उसमें शुरुआती वर्ष 2014-15 से तीक्ष्ण गिरावट दर्ज कि गई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18
स्थापित क्षमता	मे वा	392	573	653	727	1653
उत्पादन	मे वा	237	295	473	381	838
माँग	मे वा	1475	4470	7157	5186	10430
माँग की तुलना में उत्पादन का प्रतिशत		16	7	7	7	8

ख) **घरेलू माँग में घरेलू उत्पादकों का बिक्री स्तर और मार्केट शेयर में बदलाव:** माँग में तेजी से विस्तार के बावजूद भी हाल ही के वर्षों में घरेलू उत्पादकों का मार्केट शेयर स्थिर रहा है और शुरुआती वर्ष 2014-15 की तुलना में घटा है। घरेलू उत्पादकों का वर्ष 2014-15 में मार्केट शेयर 13 प्रतिशत था जो 2017-18 (क) में घट कर 7% हो गया। इसी अवधि के दौरान आयात का मार्केट शेयर 86 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया।

वर्ष	कुल आयात (मे वा)	घरेलू उद्योग की बिक्री (मे वा)	भारतीय उत्पादकों की बिक्री (आवेदकों) के अतिरिक्त	कुल माँग (मे वा)	मार्केट शेयर (%)		
					घरेलू उद्योग	आयात	अन्य
2014-15	1275	191	9	1475	13	86	1
2015-16	4186	276	8	4470	6	94	0
2016-17	6375	457	325	7157	6	89	5
2017-18 (सितंबर 2017 तक)	4665	358	163	5186	7	90	3
2017-18(क)	9331	774	325	10430	7	90	3

ग) **क्षमता उपयोग** - जांच की अवधि के दौरान आवेदकों की उत्पादन सुविधाएं पूर्ण रूपण प्रयोग में नहीं लाई गईं। नीचे दी गई सारणी में यह देखा जा सकता है की क्षमता उपयोग में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 वार्षिक
स्थापित क्षमता	मे वा	392	573	653	727	1653
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे वा	237	295	473	381	838
क्षमता प्रयोग		60%	52%	72%	53%	51%

घ) **रोज़गार** - ऊपर सारणी में दिये गए विवरणों के अनुसार रोज़गार में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। मैसर्स मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड मई 2017 में ही क्रियाशील हुई है। इस फर्म के शामिल होने से कर्मचारियों की असल संख्या में वृद्धि हुई है। यदि एमएसपीवीएल के कर्मचारियों को हटा दिया जाए तो अन्य आवेदकों की कर्मचारी संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

कर्मचारियों की संख्या	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)
मैसर्स एम एस पी वी एल को छोड़ते हुए	100	135	128	127
मैसर्स एम एस पी वी एल को शामिल करते हुए	100	135	128	460

ड) **लाभ/हानी** - जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान वहन करना पड़ा जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 वार्षिक
लाभ (लाखों में) क्रमबद्ध	-100	(-)351	-146	(-)341	(-)150
लाभ (वाट में) क्रमबद्ध	-100	(-)243	-61	(-)84	(-)80

च) **माल सूची** - अधोलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान माल सूची में अनुमानतः 4 गुना बढ़ोतरी देखी गई-

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (वार्षिक)
अंतशेष माल सूची	100	82	147	416

**8)** घरेलू उद्योग ने अपने आवेदनपत्र में रक्षोपाय शुल्क का चार वर्षों की अवधि के लिए तत्काल अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग में आई प्रपाती गिरावट के मद्देनजर अंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का भी अनुरोध किया है।

**9)** इस आवेदनपत्र की जांच की गई और यह पाया गया कि इस विचारधीन उत्पाद के आयातों ने घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा गंभीर क्षति पहुँचाए जाने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं, तदनुसार, इस नोटिस के माध्यम से जांच की शुरुआत करने का निश्चय किया गया है।

**10)** सभी संबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचार निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।

महानिदेशक (रक्षोपाय)

भाई वीर सिंह साहित्य सदन , द्वितीय तल

भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट,

नई दिल्ली – 110001

टेलीफेक्स – 011-23741542/23741537

ई मेल – [dgsafeguards@nic.in](mailto:dgsafeguards@nic.in)

**11)** संबद्ध पक्षकारों से संबन्धित सभी निर्यातकों को, संबन्धित उत्पाद से संबन्धित देशों को उनके दूतावासों के माध्यम से एवं भारत के सभी आयातकों को अलग से सूचित किया जा रहा है।

**12)** यदि कोई अन्य पार्टी संबद्ध पक्षकार की सूची में शामिल होने का इच्छुक है तो 15 दिवसों के अंदर महानिषेकर रक्षोपा से अधोलिखित पते पर संपर्क कर सकता है।

**13)** एक सार्वजनिक फ़ाइल जिसमें सभी (गैर गोपनीय) प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे, सभी पक्षकारों हेतु नीचे उल्लेखित पते पर महानिदेशक रक्षोपाय के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

[फा. सं. डी-22011/68/2017]

संदीप एम. भटनागर, महानिदेशक

## MINISTRY OF FINANCE

(DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS)

(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

### NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 19th December, 2017

[Issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

**Subject: Initiation of a Safeguard investigation concerning imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India - reg.**

**G.S.R. 1522(E).**—An application dated 28.11.2017 has been filed in this office on 05.12.2017 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by the Indian Solar Manufacturer’s Association (ISMA) on behalf of five Indian producers, namely (i) M/s Mundra Solar PV Limited, Adani House, Meetha Khali 6 Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat; (ii) M/s Indosolar Limited, 3C/1, EcoTech-II, Udyog Vihar, Dist: Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh; (iii) M/s Jupiter Solar Power Limited, Village Katha, Post Office Baddi, Teh. Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205; (iv) M/s Websol Energy Systems Limited, Falta SEZ Sector-II, Falta, Dist: 24 South Praganas, West Bengal-743504; and (v) M/s Helios Photo Voltaic Limited, 43B, Okhala Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, through M/s. Athena Law Associates, 808, L&T Building, Sector 18B, Dwarka, New Delhi-110075 seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” [hereinafter referred to as “Product Under Consideration” or “PUC”] into India to protect the domestic

producers of like and directly competitive articles (to the PUC) from serious injury / threat of serious injury caused by such increased imports.

2. **Domestic Industry (DI):** The applicants claim that their collective production accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India. They contend that by virtue of this fact, they represent a major proportion of the total Indian or domestic industry of the PUC and, therefore, they have the standing to file the present application and be treated as the DI.

3. **Product Under Consideration (PUC):** The product under consideration is “**Solar Cells whether or not assembled in modules or panels**” classifiable under Tariff Heading 85414011 of Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. Photovoltaic Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market / trade parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level. Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. To make practical use of the Solar Cells, these are placed in panels or modules. In other words, a solar panel / module is a packaged, connected assembly of Solar Cells. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve the desired output wattage and / or in parallel to provide the desired current capability. The Customs tariff classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3.1 There are two major technologies that are available for manufacturing the PUC. The first technology is known as "Crystalline Silicon (c-Si)" based technology, also referred to as silicon wafer based technology. Crystalline Silicon includes n-type and p-type silicon, and also mono crystalline and multi crystalline silicon materials. The second technology is referred to as "Thin Film" technology wherein amorphous silicon, cadmium tellurium (CdTe) or copper indium gallium selenium are used as semiconductor materials. Solar Cells made by using both c-Si technology and Thin Film technology are imported into India.

3.2 The applicants claim to manufacture Solar Cells using c-Si Technology and not by using Thin Film Technology. The applicants further state that Solar Cells made by using both Crystalline and Thin Film technologies are used in comparable applications or end uses and there are no material differences between such Solar Cells though the technology used may be different. Therefore, the applicants claim that the domestically produced Solar Cells based on c-Si technology are like and directly competitive articles to the imported Solar Cells originating from the use of either c-Si technology or Thin Film technology.

4. **Period of Investigation (POI):** The applicants have submitted the relevant data of imports, production etc. for the period 2014-15 to 2017-18 (upto September 2017). The POI selected is 2014-15 to 2017-18 (Annualised) which suffices to take into consideration the market conditions and other factor that are relevant for ascertaining the need for imposition of Safeguard Duty.

5. **Source of Information:** The applicants have provided transaction-wise import data for the PUC from (i) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce for the period 2014-15 to 2017-18 (upto June 2017) and (ii) M/s Infodrive Media for the period 2017-18 (July to September 2017) and the same has been taken into consideration for analysis. The applicants have also provided data in respect of their own production, sales, inventory etc. for the period 2014-15 to 2017-18 (upto September 2017).

6. **Increase in Imports (absolute & in relative terms):** The PUC is imported into India primarily from China PR, Malaysia, Singapore and Taiwan. Taking into account the base year as 2014-15, the documents on record reveal that the imports of the PUC have increased over a period of time in absolute terms. In relative terms also, the imports have increased appreciably as compared to the base year.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)	2017-18 (Annualized)
Total Imports	MW	1,275	4,186	6,375	4665	9,331
Indian Production	MW	246	305	798	544	1,164
Imports as a % of Indian Production		519	1,371	799	858	802

7. **Serious Injury:** The applicants claim that the increased imports of the PUC have caused and are threatening to cause serious injury to the DI engaged in manufacture of products which are like and directly competitive (to the PUC), as indicated by the following factors:

- (a) **Production:** The production and demand of the PUC increased during the period of investigation, whereas, the production of the DI as a percentage of demand declined sharply during the POI, as shown in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)	2017-18 (Annualised)
Installed Capacity	MW	392	573	653	727	1,653
Production of DI	MW	237	295	473	381	838
Demand	MW	1,475	4,470	7,157	5,186	10,430
% of production of DI with respect to demand		16	7	7	7	8

- (b) **Change in the Sales and Market Share of domestic producers in demand:** Despite rapid expansion in demand, the sales and market share of the DI has more or less remained constant in recent years and has, in fact, decreased sharply when compared to the base year, 2014-15. The DI had a market share of 13% in 2014-15 which declined to 7% during 2017-18 (A). During the same period, the market share of imports increased from 86% to 90%, as shown in the table below.

Year	Total Import (MW)	Sales of DI (MW)	Sales of Indian Producers other than DI (MW)	Total Demand (MW)	Market Share (%)		
					DI	Import	Others
2014-15	1,275	191	9	1,475	13	86	1
2015-16	4,186	276	8	4,470	6	94	0
2016-17	6,375	457	325	7,157	6	89	5
2017-18 (Upto Sept.,2017)	4,665	358	163	5,186	7	90	3
2017-18 (Annualised)	9,331	774	325	10,430	7	90	3

- (c) **Capacity Utilisation:** The production facilities of the DI were under-utilised during the entire POI and the capacity utilisation declined significantly, as evident from the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)	2017-18 (Annualised)
Installed Capacity	MW	392	573	653	727	1,653
Production of DI	MW	237	295	473	381	838
Capacity Utilisation		60%	52%	72%	53%	51%

- (d) **Employment:** The trend of employment given by the DI demonstrates a declining trend throughout the POI. No doubt, the recent entry of one applicant, M/s Mundra Solar PV Limited (M/s MSPVL) in May 2017 has resulted in an increase in the total number of employees, but this is not reflective of the industry trend. In fact, if the number of employees of M/s. MSPVL is removed, the declining trend in the employment of the industry as a whole is evident, as shown in the table below. Further, the DI has claimed potential loss in employment opportunity as they are operating far below their installed capacity, as indicated at (c) above.

No. of Employees	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)
Excluding M/s MSPVL (Indexed)	100	135	128	127
Actual including M/s MSPVL (Indexed)	100	135	128	460

- (e) **Profit / Loss:** The DI has incurred losses on domestic sales over the POI, as shown in the table below.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)	2017-18 (Annualised)
Profit in Rs. Lakhs (Indexed)	100	(-)351	(-)146	(-)341	(-)150
Profit in Rs./Watt (Indexed)	100	(-)243	(-)61	(-)84	(-)80

- (f) **Inventory:** The table below depicts that the inventory of the DI has increased by 4 times (approx.) over the POI. This is indicative of loss of market space on account of surge in imports.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept.,2017)
Closing Inventory (Indexed)	100	82	147	416

8. The applicants have requested for immediate imposition of Safeguard measures for a period of four years. The applicants have also requested for imposition of provisional Safeguard duty in view of steep deterioration in the performance of the DI, as a result of increased imports of the PUC.

9. The application has been examined and it has been found that *prima facie* the increased imports of the PUC have caused and are threatening to cause serious injury to the DI of products that are like and directly competitive to the PUC. Accordingly, it has been decided to initiate an investigation through the issue of this Notice.

10. All interested parties may make their views known within a period of 30 (thirty) days from the date of this Notice to:

The Director General (Safeguards)  
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,  
Bhai Vir Singh Marg,  
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.  
Telefax: 011-23741542/ 23741537  
E-mail: dgsafeguards@nic.in

11. All known interested parties including the known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their Embassy in India, the importers and users in India are also being addressed separately.

12. Any other party who wishes to be considered as an interested party may submit a request to this effect to the Director General (Safeguards) at the aforementioned address within 15 days from the date of this Notice.

13. A public file containing all relevant material (non-confidential) shall be available for inspection by all interested parties in the office of the Director General (Safeguards) on the aforementioned address.

[F. No. D 22011/68/2017]

SANDEEP M. BHATNAGAR, Director General